समकालीन भारत तथा शिक्षा

(1)

प्रश्न – सर्व शिक्षा अभियान क्या है ? इसके लक्ष्य व कार्य नीतियों का वर्णन करो।

उत्तर– भूमिका – भारत के संविधान में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय में प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्तियों तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच हो सके। इसके लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं उनमें से एक है सर्व-शिक्षा अभियान। जैसा की इसके शाब्दिक अर्थ से पता चलता है 'सभी के लिए शिक्षा' का प्रावधान हो। ताकि प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया जिसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

सर्व-शिक्षा अभियान के लक्ष्य – इस अभियान के लक्ष्य इस प्रकार थे –

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल तथा 'बैक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता।
2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चे पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना।
5. सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना।
6. जीवनउपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

Scanned with CamScanner

(अ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्य नीतियाँ—
S.S.A. के अन्तर्गत प्रमुख कार्य नीतियों को महत्व दिया गया है।

1. धन की उपलब्धता— इस अभियान के लिए धन की निरंतर आवश्यकता महसूस की जाती है अतः राज्य एवं केन्द्र सरकार को निरंतर आवश्यकता महसूस की जाती है। अतः राज्य एवं केन्द्र सरकार की आवश्यकता महसूस होती रहती है।
2. बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध— सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा को भी महत्व दिया जाता रहा है।
3. प्रशासन सम्बन्धी सुविधा— सर्व शिक्षा अभियान में लगातार कुशल प्रशासन की भी आवश्यकता महसूस होती रहती है।
4. अध्यापकों की भूमिका— सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों की मुख्य भूमिका रहती है इसलिए अध्यापकों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
5. जिला प्रारंभिक योजनाएं— इस कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर एक-एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जो DIET के तहत कार्य करती है।

(आ) सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाएं—
सर्व-शिक्षा अभियान के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1. शिक्षा गारंटी योजना (2001)
2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994)
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका योजना (2004)
4. मिड-डे-मिल योजना (1995)
5. महिला समाख्या कार्यक्रम

Scanned with CamScanner

6. शिक्षक - शिक्षा का आयोजन
7. जनशाला कार्यक्रम का आयोजन

(5) सर्व - शिक्षा अभियान के चरण - सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमे सभी को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसको तीनो चरणो मे स्थापित किया गया जो इस प्रकार है -

(1) सर्व - शिक्षा अभियान का प्रथम चरण - सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत विद्यालयो मे विद्यालयो की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए -

(क) नए विद्यालयो की स्थापना की गई।
(ख) कमरो को बनवाया गया।
(ग) पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई।
(घ) साफ - सफाई का विशेष ध्यान रखा गया।
(ङ) विद्यालय मे खेल और चारदीवारी का निर्माण किया गया।
(च) लड़के एवं लड़कियो के लिए अलग से शौचालयो का निर्माण किया गया।

(2) सर्व - शिक्षा अभियान का द्वितीय चरण - इस चरण को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी कहा गया है। इसे 2009 मे स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए।

(क) छात्र - प्रतिशत बढ़ाना (जिससे से सम्बन्धित कार्य किए गए)
(ख) योग्य अध्यापको की नियुक्ति की गई।
(ग) लड़कियो के लिए अलग से विद्यालयो की स्थापना की गई।
(घ) अध्यापको के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करना।
(ङ) मुफ्त विद्यालयो की व्यवस्था की गई।
(च) विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई।

Scanned with CamScanner

(ढ) सभी वर्गों, धर्मों व जातियों के लिए शिक्षा का विशेष प्रावधान, विशेष पुस्तकालयों में खेल के मैदानों का निर्माण
(ण) अध्यापन से सम्बन्धित सामग्री के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
(3) मूल शिक्षा अभियान का तीसरा चरण — राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने इसके दूसरे चरण की समाप्ति से प्रभावित होकर तीसरे चरण का अभियान आरम्भ किया जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य किए गए —
(1) नए विद्यालयों में नौवीं से लेकर बारहवीं तक दो-दो कक्षाओं के विभाग बनाए गए।
(2) पाठ्यक्रम में सुधार किया गया।
(3) परीक्षा प्रणाली में सम्बन्धित बदलाव किए गए।
(4) छात्रों की समस्याओं का समाधान किया गया।
(5) पिछड़े इलाकों के विद्यालयों में आवास की सुविधाएँ प्रदान की गईं।
(6) विद्यालयों की प्रतिवर्ष मरम्मत करवायी जाए।
(7) विद्यालयों में दो-दो कमरों की व्यवस्था की गई।
(8) कक्षा-कक्षा को सुन्दर बनाया गया।
सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव
(1) प्रत्येक विद्यालय में सुविधाएँ प्रदान की जाए।
(2) लड़के-लड़कियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाए।
(3) छात्र-छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
(4) अध्यापकों के प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाकर 20 दिन किया जाए।
(5) अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए।

Scanned with CamScanner

(6) मिड-डे मील योजना को सही ढंग से संचालित किया जाए।
(7) ग्रामीण स्तर पर पंच एवं सरपंचों को भी शामिल किया जाए।
(8) बच्चों को सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाए।
(9) समय-समय पर सामग्री का निरीक्षण किया जाए।
(10) शैक्षिक उपकरणों जैसे टी० वी०, रेडियो, कम्प्यूटर आदि का भी प्रयोग किया जाए।

निष्कर्ष :— निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक, कोई भी शिक्षा से सम्बन्धित अभियान सफल नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner

1

प्रश्न – 2 वैश्वीकरण पर नोट लिखो।

उत्तर – 2 भूमिका :- वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का ही परिणाम है। वैश्वीकरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप लाना है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश विश्व विकास का एक तत्व बन सके। वैश्वीकरण के फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना किसी हस्तक्षेप के विनिमय हो सकता है।

परिभाषा :

लैचनर के अनुसार " वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास "।

महत्व :-

1. विश्व स्तर पर व्यापार करने मे महत्व।
2. विश्व की सभी समस्याओं पर विचार करने में।
3. राष्ट्रीय विकास में इसका महत्व।
4. विश्व नागरिकता के विकास मे महत्व।
5. जनसंचार के साधनों का विकास करने मे महत्व।

वैश्वीकरण के लाभ :-

4. प्रत्येक विचारधारा की कुछ विशेषताएँ होती हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं। वैश्वीकरण के अनेक लाभ हैं।

1. वसुधैव कुटुम्बकं की भावना - वैश्वीकरण के अंतर्गत व्यक्ति एक संकुचित परिवेश में रहकर विचार नहीं करता अपितु सम्पूर्ण विश्व को अपना परिवार मानना आरम्भ कर देता है।

2. स्वच्छ प्रतियोगिता की भावना का विकास :- इसके कारण देश के अन्य देशों से साथ व्यापार करने की भावना का विकास उत्पन्न हो जाता है जिसमें एक-दूसरे के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

3. शिक्षा का आदान-प्रदान - इससे व्यक्ति विश्व में किसी भी कोने में जाकर शिक्षा प्रदान कर सकता है जहाँ पर भौगोलिक सीमाएँ बाधा का काम नहीं करती।

4. सभी समस्याओं के हल करने में सहायता - वैश्वीकरण से समाज एवं विश्व में फैली पर्यावरण, आतंकवाद जैसी समस्याओं पर एक साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है।

5. संस्कृति के आदान-प्रदान में सहायक - वैश्वीकरण से शैक्षिक आदान-प्रदान ही नहीं होता, अपितु संस्कृति का पूरी तरह से आदान-प्रदान होता है।

Scanned with CamScanner

6. रोजगार के अवसर – वैश्वीकरण से व्यक्ति किसी भी देश में जाकर कार्य कर सकता है इससे रोजगार के अवसर पूरी तरह से खुल जाते हैं।
7. आर्थिक विकास में सहायक – वैश्वीकरण से एक देश की सहायता आर्थिक विकास के रूप में हो जाती है जिससे उस देश में विकास की संभावनाएं पूरी तरह से उत्पन्न हो जाती है।
8. पर्यटन को बढ़ावा मिलता है – वैश्वीकरण के कारण ही व्यक्ति विश्व के किसी कोने में घूम सकता है इससे देश को आर्थिक सहायता मिलती है।
9. जनसंचार में सहायता :– इससे जनसंचार की भावना बढ़ जाती है।
10. तकनीकी का विकास :– वैश्वीकरण से जब देश एक दूसरे के नजदीक आयेंगे तो नवीन तकनीकी से परिचित होंगे। जिससे उद्योग मिल पाता है।

वैश्वीकरण की हानियाँ – वैश्वीकरण से समाज में लाभ-ही-लाभ नहीं है अपितु इसकी हानियाँ भी हैं जो इस प्रकार हैं–

1. परम्परागत संस्कृति की कमी :– वैश्वीकरण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो जाता है। जिसके कारण अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूल जाता है इससे सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट देखी जाती है।
2. प्रतिभा का पलायन :– वैश्वीकरण से शिक्षा ग्रहण करने व नौकरी करने के अवसर विदेशों में बहुत अधिक बढ़े हैं। जिसके कारण एक देश की प्रतिभा दूसरे देश में चली जाती है।

3. महंगी शिक्षा — वैश्वीकरण से शिक्षा दिन - प्रतिदिन महंगी होती जा रही है जिससे आम व्यक्ति वैश्वीकरण के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

4. अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सहभागिता का अभाव :— वैश्वीकरण के कारण आज अध्यापक का स्थान भौतिक उपकरण लेते जा रहे हैं, जिससे अध्यापक एवं छात्रों के मध्य दूरी बढ़ती जा रही है उनके अन्तः सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहे।

5. नैतिक मूल्यों में गिरावट — वैश्वीकरण के कारण लोगों के नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं।

निष्कर्ष :— उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की हानियाँ भी हैं एवं लाभ भी हैं परन्तु इसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता है सभी राष्ट्र आपसी मतभेद भुलाकर एकता के सूत्र में बंध सकते हैं इससे सम्पूर्ण विश्व का विकास हो सकता है।

Scanned with CamScanner

समकालीन भारत तथा शिक्षा

(1)

प्रश्न 1 - समावेशी शिक्षा क्या है ? समावेशी शिक्षा के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

उत्तर - भूमिका - शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए, ताकि इनमें हीन भावना न आए और मुख्य धारा से अलग न हो।

समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है।

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त :-

1. व्यक्तिगत रूप से भिन्नता - प्रत्येक बालक अपने आप में दूसरे बालकों से भिन्न होता है। यह भिन्नता स्वरूप तथा व्यक्तित्व आदि में पायी जाती है।
2. माता-पिता का सहयोग प्रदान करना - समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत माता-पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है यदि माता-पिता सहयोग देंगे तो विशिष्ट बालकों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
3. भेदभाव रहित शिक्षा - इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी चाहिए क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है।
4. विशिष्ट कार्मिकों द्वारा शिक्षा - विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट कार्मिकों को लागू किया जाता है।

Scanned with CamScanner

5. वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए — प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। नियम के अनुसार किसी भी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकते। विद्यालय में शिक्षा के विशिष्ट पक्षों पर विद्यालय व अध्यापकों का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए।

6. समानता का सिद्धान्त — भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। इन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते।

7. विशेष प्रक्रिया का सिद्धान्त — यह प्रक्रिया प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के अभिभावकों को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण और निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है जहाँ पर बालकों को उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जा सके। यदि माता-पिता शिक्षण संस्था की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं है तो वह बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य उपयुक्त संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं।

8. तिरस्कृत नहीं करने का सिद्धान्त — शारीरिक रूप से अपंग सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिये सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी भी बालक को स्वीकार करने या ना करने का विकल्प किसी भी संस्था को नहीं दिया जाना चाहिये।

Scanned with CamScanner

9. सामाजिक गुणों का विकास – शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं है, बल्कि इनका पूर्ण विकास करना है, बल्कि इनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने से इनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। इनके साथ मिलकर विशेष बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है।

निष्कर्ष :—

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि समावेशित शिक्षा की प्रकृति तथा लक्षणों के दृष्टिगत यह कहा जा सकता है कि यह ऐसी शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चे को उत्तम सीमा तक विद्यालय और कक्षा में जहाँ वह पढ़ना चाहे उपलब्ध कराई जाए। यह बच्चे की ओर उन्मुख और आधारित होती है। इसका विश्वास है कि एकीकरण तथा मुख्यधारा के द्वारा क्षतियुक्त बच्चे अलगाव वाले पर्यावरण की अपेक्षा शीघ्र उन्नति कर समाज में समायोजन आसानी से कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner